CIN: U40109RJ2000SGC016486

JPD-6/437

जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड

कार्यालय मुख्य लेखाधिकारी (ले.क.रा)

पंजीकृत कार्यालय, विद्युत भवन, ज्योति नगर, जनपथ, जयपुर, 5
टेली.: 0141-2747039, फैक्स: 0141-2747039

क्रमांकः जेपीडी/विशेषाधिकारी (लेकरा)/राजस्व II/पत्रा. /प्रे. 4428 जयपुर, दिनांक : 18-02-16

परिपत्र

परिपत्र संख्या 4363 दिनांक 10.02.2016, की ओर ध्यान आकर्षित करते हुये लेख है कि माह दिसम्बर 2015 का MIS 3.1 में प्रति यूनिट राजस्व निर्धारण में काफी असंतुलन पाया गया है। कुछ वृत्तों में प्रति यूनिट दर RERC द्वारा निर्धारित दरों से भी कम आ रही हैं यह बहुत ही गम्भीर है एवं इसमें सम्बन्धित अधिकारियों/कर्मचारियों की अनियमितता/लापरवाही स्पष्ट दिखाई दे रही है। इस सम्बन्ध में यह भी बताना उचित होगा कि वित्तीय वर्ष 2015–16 के लिये टैरिफ दरों में वृद्धि के लिये लगाई गई टैरिफ पिटिशन में बहुत सारे स्टॉक हॉल्डरों ने प्रति यूनिट दर की विभिन्नता को चुनौती दी है। अतः इस सम्बन्ध में निम्न दिशा–निर्देश सम्बन्धित अधिकारियों/कर्मचारियों को सख्त पालनार्थ दिये जा रहे हैं :–

1. CB-4 व CB-15 से उपभोक्ता खातों में किये जाने वाले समायोजन में उससे सम्बन्धित ऊर्जा उपभोग (विद्युत यूनिट) का निर्धारण करना भी सुनिश्चित करें। उदाहरणार्थ यदि किसी उपभोक्ता का 500 यूनिट की बजाय 1500 यूनिट की बिलिंग की गई है तो उपरोक्त त्रुटि को सुधारने के लिये Advice के मार्फत 1000 यूनिट की राशि के साथ–साथ विद्युत उपभोग (यूनिट) की भी Advice कम्प्यूटर सिस्टम में पंच करवाया जाना सुनिश्चित करेंगे।
2. इसी प्रकार MS- 14 से होने वाली राजस्व निर्धारण की राशि के साथ–साथ उससे सम्बन्धित विद्युत उपभोग (यूनिट) का आवश्यक रूप से कम्प्यूटर सिस्टम में इंद्राज दर्शाया जावे।
3. कुछ वृत्तों में ऐसे प्रकरण ध्यान में लाये गये हैं कि वर्ष के अन्त तक राजस्व वसूली की प्रतिशत दर में वृद्धि करने हेतु किसी भी तरह की Sundry advice के द्वारा बिना किसी औचित्य के राजस्व राशि (Assessment) को कम कर दिया जाता है इस तरह का कृत्य पूर्ण रूप से अनियमित व अनुचित है। इसी प्रकार गलत बिलिंग पर किये जाने वाले समायोजनों का उपभोक्ता खातावार व संख्या का विस्तृत विवरण सहायक अभियन्ता व अधिशाषी अभियन्ता द्वारा सत्यापित किया जाये एवं वृत्त के लेखाधिकारी द्वारा संतुष्टि होने पर ही इस प्रकार समायोजन किया जाना चाहिये। यदि इस प्रकार गलत समायोजन कर MS- 14 का दुरूपयोग किया जाता है तो सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारी के खिलाफ सख्त अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।

रवि कुमावत :- 89

4. कुछ उपभोक्ताओं द्वारा ऐसे प्रकरण ध्यान में लाये गये हैं जिसमें सही मीटर में दर्शाये जाने वाली विद्युत उपभोग से अधिक उपभोग (यूनिट) के बिल उपभोक्ताओं को भेजे जा रहे हैं ताकि इस तरह के कृत्यों से कृत्रिम रूप से वितरण हानियों में कमी दिखाई दे। इस तरह के कृत्य उपभोक्ताओं में असंतोष पैदा करते हैं एवं निगम की छवि धूमिल करते हैं। अतः सभी को निर्देशित किया जाता है कि वास्तविक विद्युत उपभोग का ही विपत्र जारी करवाया जाये।
5. वित्तीय वर्ष में वसूली राशि के लक्ष्य प्राप्त करने के उद्देश्य से उपभोक्ताओं से माह मार्च में अग्रिम राशि प्राप्त करके MIS में सम्मिलित कर लिया जाता है। जबकि इस पर निगम ने रोक लगा रखी है। केवल चालू माह (Current Bill) का बिल और पिछला बकाया वसूल करने के लिये प्रयास किये जाये।
6. यदि वर्तमान वित्तीय वर्ष 2015–16 में उपरोक्त वर्णित कारणों से या किसी अन्य कारण से काल्पनिक विद्युत उपयोग की प्रविष्टि MIS में की जा चुकी है तो इसी वर्ष की आने वाली MIS में ऐसी त्रुटियों को सुधारा जावे। इस प्रकार की त्रुटियों को सुधारने व पुनः पुनरावृत्ति न होने के लिये सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता/लेखाधिकारी पूर्ण रूप से जिम्मेदार होंगे।

उपरोक्त सभी प्रकरणों का विशेष अंकेक्षण दल द्वारा अंकेक्षण कराया जायेगा एवं दिशा–निर्देशों की पालना नहीं करने पर अधिकारियों/कर्मचारियों के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।

अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक
जयपुर डिस्कॉम, जयपुर

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1. श्रीमान् प्रबंध निदेशक, अजमेर/जोधपुर वि. वि. नि. लिमिटेड, अजमेर/जोधपुर।
2. मुख्य लेखाधिकारी ( ) जयपुर डिस्कॉम,.....।
3. संभागीय मुख्य अभियन्ता ( ) जयपुर डिस्कॉम,.....।
4. अधीक्षण अभियन्ता (आई. टी.) जयपुर डिस्कॉम, जयपुर।
5. अधीक्षण अभियन्ता ( ) जयपुर डिस्कॉम, ।
6. वरिष्ठ/संभागीय लेखाधिकारी/लेखाधिकारी ( ) जयपुर डिस्कॉम, ।

विशेषाधिकारी (लेकरा)

रवि कुमावत :- 90